भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3615
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

3615. श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत सरकार इसकी शुरूआत से ही रोजगार का सृजन करने में सफल रही है; और यदि हां, तो लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र/माह-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार यह विज्ञापन कर रही है कि मासिक आधार पर पीएमआरपीवाई के माध्यम से 5.5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा; यदि हां, तो इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2019 को लाभार्थियों की कुल संख्या 1,18,05,003 थी। राज्य-वार एवं क्षेत्र/उद्योग-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-। एवं ।। में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जोड़े गए लाभार्थियों की कुल संख्या 87,46,888 है, जिसकी औसत प्रतिमाह 7 लाख से अधिक लाभार्थी है। लाभार्थियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	लाभान्वित कर्मचारी
2016-17	**33031**
2017-18	**3025084**
2018-19	**8746888**
योग	**11805003**

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा के दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभान्वित कर्मचारियों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या

राज्य	01-अगस्त -2016 से 31-मार्च-2019 के दौरान लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	936445
असम	10755
बिहार	123462
चंडीगढ़	189072
छत्तीसगढ	128739
दिल्ली	748149
गोवा	24218
गुजरात	1028838
हरियाणा	970736
हिमाचल प्रदेश	127401
झारखंड	66668
कर्नाटक	1151215
केरल	196802
मध्य प्रदेश	335672
महाराष्ट्र	2106405
ओडिशा	135912
पंजाब	190968
राजस्थान	449223
तमिलनाडु	1417808
उत्तर प्रदेश	828678
उत्तराखंड	286607
पश्चिम बंगाल	351230
योग	11805003

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01-अगस्त -2016 से 31-मार्च-2019 तक उद्योग-वार पीएमआरपीवाई का विवरण

शीर्ष 10 क्षेत्र		
क्र.स.	उद्योग	लाभान्वित कर्मचारी
1	विशेषज्ञ सेवाएं	4706945
2	ट्रेडिंग - व्यावसायिक संस्थान	809949
3	कपड़ा	779321
4	भवन एवं निर्माण उद्योग	757435
5	वस्त्र बनाना	618104
6	इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सामान्य इन्जीनियरी	617404
7	इंजीनियर्स – इन्जीनियरी ठेकेदार	420944
8	वित्तपोषण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान	253498
9	सफाई, झाड़-पोंछ सेवाओं में संलग्न प्रतिष्ठान	209364
10	अस्पताल	191407

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय